

9.12.2024:- पत्रावली आज प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी अपने वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते। इसलिए आज वादपत्र पेशी मे लिया जाकर नया वादपत्र प्रस्तुत करने कि अनुमति के साथ विद्वा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा कि गई। वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र मौजूदा सूरत मे नया वादपत्र प्रस्तुत करने कि अनुमति के साथ विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

